न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : – श्री विकास पंचोली (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थनापत्र संख्या :– 92/2019 दायर तारीख 18.4.2019

अनवान

01 सुगनलाल पिता भंवरलाल जाति रेगर उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी हरजीपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)।

02 मनोज कुमार पिता घासीलाल जाति जाटव उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी सलावटिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)।

..........प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार मार्फत भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.... विपक्षी

उपस्थित :– श्री रामफूल धाकड, अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :–

दिनांक 21.05.2019

प्रार्थनापत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री रामफुल धाकड ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत विरूद्व विपक्षी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा गोपालनिवास पटवार हल्का सलावटिया तहसील बिजौलियां के खाता संख्या 74 खसरा संख्या 293/42 रकबा 4–18 बीघा भूमि प्रार्थीगणो की स्वयं के स्वामित्व की खातेदारी होकर दर्ज जमाबन्दी हैं। उक्त खसरा नम्बर की भूमि प्रार्थीगणो के नाम पर कब्जे काश्त में है। दिनांक 12.04.2019 को प्रार्थी द्वारा पटवार हल्का के पास राजस्व रेकॉर्ड की नकले प्राप्त करने हेतु गया तब पटवारी ने बताया की खसरा 293/42 रकबा 4–18 बीघा के रकबे से राजस्व नक्शा छोटा दर्शाया हुआ हैं। प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज भूमि को विपक्षी के अधिनस्त कर्मचारियों द्वारा उक्त नक्शा ट्रेस को राजस्व रेकॉर्ड में अंकित रकबा 4–18 बीघा के मुकाबले 1–00 बीघा छोटा कर दिया गया हैं। प्राथीगण की खातेदारी आराजी संख्या 293/42 रकबा 4–18 बीघा भूमि के अनुसार नक्शा ट्रेस होना चाहिए था जबकि वर्तमान में उक्त आराजी का नक्शा ट्रेस रेकॉर्ड में 3–18 बीघा भूमि का हैं। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम गोपालनिवास पटवार हल्का सलावटियां में स्थित प्रार्थीगणों की की खातेदारी भूमि के वर्तमान आराजी संख्या 293/42 के नक्शा ट्रेस अनुसार रकबा 3–18 के स्थान पर रकबा 4–18 बीघा राजस्व रेकॉर्ड में नक्शा ट्रेस में तरमीम दुरूस्ती का आदेश प्रदान फरमावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी की तलबी जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र भेज करवायी गई।

विपक्षी पेराकार सरकार ने प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया कि ग्राम सलावटियां की आराजी संख्या 293/42 रकबा 4–18 बीघा भूमि सुगनलाल पिता भंवरलाल 2/7 जाति रेगर सा हरजीपुरा तह. बिजौलियां, मनोज कुमार पिता स्व. घासीलाल 5/7 जाति जाटव सा सलावटियां के नाम राजस्व रेकॉर्ड में खातेदारी दर्ज हैं। उक्त आराजी पर प्रार्थीगणों का मौके पर सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा नही होकर केवल 2–00 बीघा भूमि पर कब्जा होना पाया गया। जिसमें से 1–18 बीघा भूमि लघु औधोगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन (अप्रदुषित उद्योग) हो चुकी हैं। शेष भूमि 3–00 प्रार्थीगण के खातेदारी दर्ज रेकॉर्ड हैं जिसमें से 1–18 बीघा भूमि पर प्रभुलाल पिता खेमा, पन्नीलाल पिता हीरा धाकड निवासी गोपालनिवास का कब्जा होना मौके पर उपस्थित मौत विरान द्वारा बताया गया जिसके दो तरफ पत्थर की दीवार तथा दो तरफ तारबन्दी कर रखी हैं तथा 1–00 बीघा भूमि उक्त आराजी की रकबा बरारी करने पर कम आती हैं। उक्त आराजी से लगते हुए मूल आराजी नम्बर 42 जो राजस्व रेकॉर्ड में बिलानाम दर्ज हैं जमाबन्दी में उक्त आराजी का रकबा 7–00 बीघा दर्ज हैं। साथ ही पर्चा मौका, नक्शा ट्रेस व नकल जमाबन्दी प्रस्तुत की हैं।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि -भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

अधिवक्ता प्रार्थी ने दस्तावेज के साथ नकल जमाबन्दी ग्राम गोपालनिवास सम्वत 2074 से 2077 खाता संख्या 74 एवं नकल जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 खाता संख्या 81, नक्शा ट्रेस ग्राम गोपाल निवास की प्रति संलग्न की है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्वयं के नाम पर दर्ज भूमि ग्राम गोपालनिवास आराजी 298/42 रकबा 4–18 बीघा दर्ज रेकार्ड है। किन्तु नक्शा ट्रेस में रकबा 1–00 बीघा भूमि रकबा बरारी करने पर कम आती है। उक्त आराजी से लगते हुये मूल आराजी नं0 42 जो राजस्व रेकार्ड में बिलानाम सरकार दर्ज है। पेराकार सरकार स्वयं ने अपने उक्त जवाब में अंकित किया है। प्रार्थी चुंकि खातेदार है तथा खातेदार होने से नक्शा ट्रेस में भी जमाबन्दी अनुसार पूर्ण रकबा होना आवश्यक है। ऐसी सुरत में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर नक्शे में आवश्यक तरमीम के आदेश पारित किया जाना हम उचित समझते है।

अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता हैं कि ग्राम गोपालनिवास स्थित बिलानाम आराजी नं0 42 मे से 1–00 बीघा भूमि प्रार्थीगण के खाते की आराजी नं0 293/42 रकबा 3–18 बीघा के राजस्व नक्शे में तरमीम करने के आदेश दिये जाते है। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें।

आदेश आज दिनांक 21.05.2019 को लिखवाया जाकर सुनवाया गया ।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां जि. भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner